



2026:AHC:50378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3400 वर्ष 2026

आदेश कुमार और 27 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कुँवर राहुल सिंह, कुँवर जीतेन्द्र बहादुर सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि सभी रिट याचिकाकर्ताओं को सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने 19 वर्ष की सेवा प्रदान की है। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उन लाभों के हकदार हैं जो रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में रिट याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए गए थे तथा इस संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार हैं। निवेदन यह है कि उन्होंने 19 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान की है, अतः, दिनांक 02.12.2020 के सरकारी आदेश के अनुसार वे एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय पर कोई विवाद नहीं किया, साथ ही, इसी तरह की एक अन्य याचिका रिट ए संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला व 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व 6 अन्य) पर भी कोई विवाद नहीं किया, जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2018 को किया गया था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय आठ नियम 5 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील में चुनौती दी गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से फैसला सुनाया गया जिसमें सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं के दावे को उचित ठहराया गया था।

4. उपरोक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उपरोक्त अंतर्वर्ती तथ्यों के आलोक में उचित निर्णय लें।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

आशु

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।